केन्द्रीय विद्यालय संगठन
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
क्षेत्रीय कार्यालय / BHOPAL REGION

E-Mail : acbhopal@yahoo.com

Phone : 2550728 (DC)
2551678 (AC/FO)
2551699 (AC/AO)
Fax : 0755-2553126

Opp. Maida Mills,
Bhopal – 462 011.

फा. 14082/56-1/2016/केविसं/भोपाल/9360-9431 दिनांक : 13.04.2016.

संयुक्त आयुक्त (कार्मिक),
केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय),
नई दिल्ली

विषय :– केन्द्रीय विद्यालय संगठन, भोपाल संभाग की क्षेत्रीय संयुक्त परामर्शदात्री समिति (आरजेसीएम) की बैठक दिनांक 12.04.2016 के कार्यवृत्त के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस संभाग की क्षेत्रीय संयुक्त परामर्शदात्री समिति (आरजेसीएम) की बैठक दिनांक 12.04.2016 को सम्पन्न हुई है । जिसके कार्यवृत्त की प्रति आपके अवलोकनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु संलग्न है ।

संलग्न : यथोपरि ।

भवदीय,

(इसमपाल)
उपायुक्त

वितरण :–

1. संयुक्त आयुक्त (प्रशासन/शैक्षिक), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय), नई दिल्ली ।
2. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय ।
3. निदेशक, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, समस्त जेडआईईटी ।
4. प्राचार्य, समस्त केन्द्रीय विद्यालय, भोपाल संभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । बैठक में लिये गये निर्णयों के संबंध में उचित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें ।
5. समस्त सहायक आयुक्त / प्रशासनिक अधिकारी / वित्त अधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
6. समस्त सदस्य, क्षेत्रीय संयुक्त परामर्शदात्री समिति (आरजेसीएम), केन्द्रीय विद्यालय संगठन, भोपाल संभाग ।

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN, REGIONAL OFFICE, BHOPAL

Minutes of the Meeting of Regional Joint Consultative Machinery (RJCM), Kendriya Vidyalaya Sangathan, Bhopal Region held on 12/04/2016

A meeting of the Regional Joint Consultative Machinery (RJCM), Kendriya Vidyalaya Sangathan, Bhopal Region was held on 12/04/2016 at 11.00 AM in the office of Kendriya Vidyalaya Sangathan, Regional Office, Bhopal.

The following members were present in the meeting :-

OFFICE SIDE		
1.	Shri Isampal, Deputy Commissioner, KVS, Regional Office, Bhopal	Chairman
2.	Shri Vijay Kumar, Principal, Vikram Hr. Sec. School, BHEL, Bhopal	Member
3.	Shri Sunil Shrivastava, Assistant Commissioner & Grievance Officer, KVS, Regional Office, Bhopal	Member
4.	Shri S.S. Dakua, Principal, Kendriya Vidyalaya No. 3, Bhopal	Member
5.	Shri J.K. Maheshwari, Administrative Officer, KVS, RO, Bhopal	Member Secretary
6.	Shri Manoj Rawtani, Finance Officer, KVS, Regional Office, Bhopal	Special Invitee

REPRESENTATIVES ON THE STAFF SIDE		
(A)	Teachers Association - AIKVTA (All India Kendriya Vidyalaya Teachers Association) – 03 Members	
1.	Shri Lavneesh Sood, PGT (Physics), KV, Ujjain - Regional President	Member
2.	Shri Anis Ahemad Daima, TGT (Maths), KV, Neemuch - Regional General Secretary	Member
3.	Shri Mukesh Bagdi, PGT (Physics), KV No. 2, Indore - Senior Vice President	Member
(B)	Non-Teaching Staff Association - KEVINTSA (Kendriya Vidyalaya Non Teaching Staff Association) – 02 Members	
4.	Shri Pradeep Kumar Mishra, Sub Staff, KV No. 2, Bhopal - Regional President	Member
5.	Shri J.N. Rathore, Assistant, KVS, Regional Office, Bhopal - Regional Secretary	Member

Shri Isampal, Deputy Commissioner, KVS, Regional Office, Bhopal & Chairman of the Regional Joint Consultative Machinery, Bhopal Region welcomed all the members. In his welcome address, he mentioned that he received all sorts of co-operation from every staff of the Vidyalayas.

Sl. No.	Agenda Points	Decision
1.	2.	3.
From – AIKVTA (All India Kendriya Vidyalaya Teachers Association)		
1.	क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल संभाग द्वारा शिकायत निवारण शिविरों के माध्यम से शिक्षकों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, इसके लिए क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल संभाग के सभी अधिकारियों को साधुवाद ।	इसके लिए आयुक्त महोदय साधुवाद के पात्र हैं ।
2.	एआईकेविटीए के विगत तीन वर्षों की सदस्य संख्या एवं शालावार काटे गये अंशदान की राशि का विवरण, महासचिव, एआईकेविटीए को प्रदान किया जाये ।	प्राचार्य, समस्त केन्द्रीय विद्यालयों को सुझाव है कि संघ द्वारा वांछित जानकारी सीधे उनके यूनिट सचिव अथवा संभागीय महासचिव को भेजें ।
3.	कुछ अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों की भांति भोपाल संभाग में भी क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर संविदा शिक्षकों की नियुक्ति की जाये, जिससे सभी केन्द्रीय विद्यालयों में श्रेष्ठ शिक्षक उपलब्ध हो सकें ।	यह केन्द्रीय विद्यालय संगठन का नीतिगत मामला है जिसके अनुसार 2016-17 के लिए क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर कार्रवाई प्रारम्भ हो चुकी है ।
4.	कुछ विद्यालयों में संविदा शिक्षकों की नियुक्ति देर से की जाती है अथवा जनवरी-फरवरी माह के पश्चात् सेवा समाप्त कर दी जाती है, जिससे अन्य शिक्षकों पर परीक्षा संबंधी तथा अन्य कार्यों का बोझ बढ़ जाता है । इससे उनकी कार्यकुशलता बाधित	इस संबंध में विद्यालय स्तर पर प्राचार्य से चर्चा कर बिन्दु का निराकरण किया जा सकता है । प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय में संविदा शिक्षकों के पैनल में से विद्यालय की आवश्यकता अनुसार यथा समय संविदा

5.	अधिकांश विद्यालयों में प्राचार्य स्वंय ही प्रतिबंधित अवकाशों का निर्धारण कर लेते हैं । ज्यादा पारदर्शिता के लिए इन अवकाशों का निर्धारण स्टॉफ के सदस्यों की समिति बनाकर वर्ष के प्रारंभ में ही समिति के माध्यम से किया जाये तथा इसकी सूची स्टॉफ कक्ष में लगाई जाये ।	यह प्राचार्य का अधिकार क्षेत्र है जिसमें क्षेत्रीय कार्यालय का हस्तक्षेप उचित प्रतीत नहीं होता है फिर भी उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे प्रतिबंधित अवकाश का नियमानुसार निर्धारण कर 15 दिवस के भीतर उसकी प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को भेजें ।
6.	जो महिलायें सी.सी.एल. पर रहीं हैं, उन्हें एपीएआर में अंक नहीं दिये जाकर अंकों वाले स्थान को खाली रखा गया है । इस कारण उन्हें स्थानान्तरण में अंकों का लाभ नहीं मिल रहा है । अतः उन्हें औसत अंक दिये जावें ।	केन्द्रीय विद्यालय संगठन का नीतिगत मामला है ।
7.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) एवं संभागीय कार्यालय के स्पष्ट निर्देशों के बाद भी कुछ विद्यालयों में आये दिन मीटिंग के नाम पर शिक्षकों को विद्यालय में सायं 4-5 बजे तक रोका जा रहा है । जिससे सभी शिक्षकों विशेषतः महिला कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है । इसी प्रकार महीने के आखिरी दिन आधे दिन शिक्षण होने के उपरांत भी विद्यालय समय उपरांत मीटिंग रखी जाती है ।	मासिक स्टॉफ मीटिंग में उक्त बिन्दु पर प्राचार्यों से उचित विचार किया जा सकता है ।
8.	विद्यालय में नियुक्त सफाई कर्मचारियों को सप्ताह अथवा पखवाड़े में एक बार कर्मचारी आवास परिसर की सफाई के लिए आदेशित किया जाये, क्योंकि सम्पूर्ण भारत में स्वच्छता अभियान चल रहा है, परन्तु विद्यालयों में कर्मचारी आवास परिसर की सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है । जबकि प्राचार्य आवास की सफाई के लिए विद्यालय में नियुक्त सफाई कर्मचारी नियमित रूप से सुबह एवं शाम जाते हैं । साथ ही स्टॉफ क्वार्टर भी विद्यालय परिसर में ही निर्मित होकर उसका ही हिस्सा है ।	यह बिन्दु आरजेसीएम से संबंधित नहीं है ।
9.	मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार प्रदेश के सरकारी अस्पताल के डाक्टरों ने बाजार की दवाई लिखना बंद कर दिया है, जबकि बहुत सारी बीमारियों में विशेषज्ञ डाक्टर द्वारा दी जाने वाली दवाइयाँ सरकारी अस्पताल में उपलब्ध नहीं है । इस हेतु आवश्यक एवं उचित निर्देशों की महती आवश्यकता है । स्थानीय स्तर पर मेडिकल अटेंड डाक्टर्स की नियुक्ति हेतु आदेश पत्र अभी तक नहीं निकला है । यह मुद्दा पूर्व की जेसीएम मीटिंग में उठाया जा चुका है तथा इस पर स्थानीय स्तर पर मेडिकल अटेंड डाक्टर्स की नियुक्ति हेतु संभागीय कार्यालय द्वारा आदेश पुनः प्रसारित करने पर सहमति हुई थी ।	जिन केन्द्रीय विद्यालयों में ए.एम.ए. (शासकीय चिकित्सक / रेलवे / डिफेंस / अन्य शासकीय विभागों के चिकित्सक सहित) नहीं हैं, वहाँ से सी.सी.एस.(एम.ए.) नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव प्राप्त होने पर केविसं के नियमानुसार उचित विचार किया जा सकता है ।
10.	जनगणना में लगे कर्मचारियों को मिलने वाली ई. एल. से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण मुख्यालय के स्पष्ट निर्देशों के उपरांत भी मनमाने ढंग से कर दिया गया है एवं प्रकरणों को बंद कर दिया जा रहा है । इस संबंध में खुले मन से मुख्यालय के स्पष्ट निर्देशों के आलोक में पुनर्विचार की आवश्यकता है ।	जनगणना/चुनाव ड्यूटी आवश्यक सेवाओं में आती है । इस संबंध में राज्य शासन से स्पष्ट आदेश/निर्देशों के अभाव में प्रकरण पर विचार किया जाना संभव नहीं है । इस संबंध में पहले ही संबंधित कर्मचारियों को सुझाव दिया गया है कि राज्य/केन्द्र शासन के यदि कोई ऐसा आदेश/निर्देश हो जो कि भोपाल संभाग के केन्द्रीय विद्यालयों

11.	कार्यालयीन स्टॉफ तथा शिक्षक दोनों ही केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अभिन्न अंग हैं, परन्तु विगत वर्ष ऑडिट पार्टी द्वारा विभिन्न विद्यालयों में सी.ई.ए. तथा टी.ए. बिल में यूनीफार्म एवं लोकल फूड बिल के नाम पर नियम विरूद्ध कटौती की गई है । इससे शिक्षकों में असंतोष है । यूनीफार्म से संबंधित कटौती को तो क्षेत्रीय कार्यालय से अलिखित निर्देशों के उपरांत रोक दिया गया है, परन्तु लोकल फूड बिल के नाम पर की गई कटौती अभी भी बरकरार है । केन्द्र सरकार द्वारा प्रसारित सी.सी.एस. (टी.ए.) नियम के अन्तर्गत कहीं भी लोकल फूड बिल का भुगतान न किया जाने का उल्लेख नहीं है । यात्रा के दौरान कई बार भोजन आदि पहले से ही ले जाना होता है, क्योंकि बीच यात्रा में उसकी उपलब्धता सुनिश्चित नहीं होती है ।	यह सर्वमान्य है कि नियमानुसार प्रस्तुत विश्वसनीय दावों में कोई कटौती नहीं होती है । अन्य यात्रा भत्ता दावों में दैनिक भत्ता के अनुसार दिये फूड बिलों के संबंध में चर्चा के दौरान शिथिलता वरतने का सुझाव मान्य हुआ ।
12.	ऑडिट पार्टी द्वारा जर्नी ऑन टूर पर मिलने वाले स्थानीय यात्रा भत्ते, जो कि वर्तमान डी.ए. की दर पर 150/- रूपये प्रतिदिन होता है, उसे या तो दूरी से जोड़ कर अथवा किसी अज्ञात नियम की वजह से 100/- रूपये प्रतिदिन पर सीमित कर कटौती की गई है । स्वामी हैंड बुक एवं सी.सी.ए. (टी.ए.) नियम के अंतर्गत कहीं भी इस प्रकार का प्रतिबंध नहीं है ।	बिन्दु पर विचार किया गया एवं कुछ विशिष्ठ प्रकरण प्राप्त होने पर समीक्षा (रिव्यू) की जा सकती है ।
13.	एम.जी.आर.एम. द्वारा शाला दर्पण से संबंधित कार्य हेतु विद्यालय स्तर पर डी.ई.ओ. की नियुक्ति की गई है, परन्तु वे भी कार्यालय एवं विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका में समस्त जानकारियों जैसे माता-पिता का नाम, विभाग का नाम, मोबाईल नंबर के उपलब्ध होते हुए भी नए-नए प्रपत्र शिक्षकों को भरने के लिए दे देते हैं, वह भी जबकि शिक्षक शिक्षण, परीक्षा एवं मूल्याकंन से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त रहते हैं ।	शाला दर्पण शासकीय योजना है जिसे संगठन में लागू किया गया है । इसमें हम सभी का सहयोग अपेक्षित है । डी.ई.ओ. भी इस योजना का एक अभिन्न भाग है ।
14.	केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 1, आयुध निर्माणी में कर्मचारियों की आवास समस्या का अब तक निराकरण नहीं हुआ है । आयुध निर्माणी परिसर और उसके आसपास ना तो किराये से आवास उपलब्ध है और ना ही होटल या भोजनालय की व्यवस्था है । सतपुड़ा के इस जंगल में रेगुलर टीचर तो परेशान होते ही हैं, कॉन्ट्रेक्ट टीचर (इटारसी के बाहर के) भी ज्वाइन करने से झिझकते हैं । इस समस्या का शीघ्र निदान किया जाये । यह मुद्दा पूर्व की जेसीएम में भी उठाया जा चुका है ।	अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंध समिति एवं प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 1, आयुध निर्माणी, इटारसी को आवास समस्या का निराकरण करने एवं उचित समाधान हेतु दिनांक 11.04.2016 को पत्र लिखा गया है कि प्राचार्य अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंध समिति से चर्चा कर उचित निराकरण करायें ।
15.	मध्यप्रदेश के केन्द्रीय विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारी एक अजीबोगरीब समस्या से दो-चार हो रहे हैं । अगर किसी कर्मचारी ने ऑल इण्डिया अथवा होम टाउॅन एलटीसी ली है और उसका गृहनगर अथवा नजदीकी रेलवे स्टेशन, रेल सेवा से नहीं जुड़ा है तो उसे एलटीसी का लाभ नहीं मिल पा रहा है । कारण ये है कि मध्यप्रदेश में सार्वजनिक परिवहन के रूप में सरकारी बसें नहीं, सिर्फ और सिर्फ निजी बसें ही उपलब्ध हैं । मध्यप्रदेश सरकार से 31 मई, 2008 से सरकारी बसें बंद कर दी है और 30 जून, 2012 से अनुबंधित बसें भी बंद हो चुकी है । इस प्रकार 01 जुलाई, 2012 से मध्यप्रदेश में सार्वजनिक परिवहन के रूप में कोई भी सरकारी बस उपलब्ध नहीं है । ऐसे में उक्त स्थिति वाले कर्मचारी अपने गृहनगर आदि उपलब्ध इन्हीं बसों से जायेगा और जैसा टिकिट बस वाला देगा वही टिकिट लेगा । इस हालत में कर्मचारी के एलटीसी क्लेम को संगठन की ऑडिट टीम यह कहकर पूरी तरह खारिज कर दें कि सरकारी बस का ही टिकिट चलेगा, तो कर्मचारी क्या करें	बिन्दु के संबंध में विद्यमान एल.टी.सी. नियमान्तर्गत उचित कार्यवाही की जा रही है । एल.टी.सी. का उपभोग निर्धारित नियमों के अन्तर्गत किया जा सकता है । इस बिन्दु में दर्शाई गई समस्या के समाधान हेतु वित्त अधिकारी द्वारा सुझाव दिया गया है कि स्थानीय मामलों को छोड़कर जहाँ रोड से यात्रा करने पर बस यातायात सुविधा नहीं है, वहाँ के आरटीओ से इस संबंध में प्रमाण पत्र एवं निर्धारित बस किराये की सूची प्राप्त करें ।

From – KEVINTSA (Kendriya Vidyalaya Non – Teaching Association)		
16.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन, भोपाल संभाग के सब स्टॉफ कर्मचारियों की वरीष्ठता सूची बनाई जाये।	सब-स्टॉफ कर्मचारी वर्ग "ग" में आते हैं एवं इनकी वरिष्ठता सूची अखिल भारतीय आधार पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) स्तर पर बनाई जाती है ।
17.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन, भोपाल संभाग के कार्यरत भूतपूर्व दिवगंत कर्मचारियों की अनुकंपा नियुक्ति की वर्तमान स्थिति क्या है । 1. श्री विजय हवेले पुत्र स्व. श्री बाबूराम हवेले, पूर्व प्रयोगशाला परिचारक, के.वि.क्र. 2, भोपाल 2. श्री अमित करौसिया पुत्र स्व. श्री कंगन करौसिया, पूर्व प्रयोगशाला परिचारक, के.वि., बीना 3. श्री नितेश तोमर पुत्र स्व. श्री बृजलाल तोमर, पूर्व सब स्टॉफ, के.वि.क्र. 2, इन्दौर 4. श्री राजेश कुमार पुत्र स्व. श्री मगनलाल, पूर्व सब स्टॉफ, के.वि.क्र. 1, सागर 5. श्री भूपेन्द्र सिंह चौहान पुत्र स्व. श्री गुलाब सिंह, पूर्व प्रयोगशाला परिचारक, के.वि., बड़वाह 6. श्री सुमित कुमार झॉझोट पुत्र स्व.श्री दीपक कुमार झॉझोट, पूर्व प्रयोगशाला परिचारक, के.वि., पचमढ़ी 7. श्री आशीष कुमार अहिरवार पुत्र स्व. श्री जी.पी. अहिरवार, पूर्व प्रयोगशाला परिचारक, के.वि., बीना	इस प्रकार के प्रकरणों पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) स्तर पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार विचार किया जाता है एवं समय-समय पर समिति की बैठक में लिए गये निर्णय से संबंधितों को सूचित किया जाता है ।
18.	सब स्टॉफ कर्मचारियों को एल.डी.ई. (स्थानीय विभागीय परीक्षा) की पात्रता दी जावे ।	यह बिन्दु केन्द्रीय विद्यालय संगठन का नीतिगत मामला है ।
19.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन में सेवाकाल के 30 वर्ष पूर्ण कर चुके सब स्टॉफ कर्मचारियों को रू. 2800/- ग्रेड पे दिया जावे ।	यह बिन्दु केन्द्रीय विद्यालय संगठन का नीतिगत मामला है ।
20.	सब स्टॉफ (लेब अटेन्डर्डेट) जो मैट्रिक उत्तीर्ण (10वीं) को कार्यालयीन कार्य कर सकते हैं, एल.डी. सी. के पद पर नियुक्ति दी जावे ।	यह बिन्दु केन्द्रीय विद्यालय संगठन का नीतिगत मामला है ।
21.	प्राचार्य अपने कर्मचारियों से शालीनता एवं विनम्रता का सौंजन्यपूर्ण व्यवहार रखें । इस हेतु एक परिपत्र केन्द्रीय विद्यालय संगठन से जारी किया जावे ।	इस संबंध में समय-समय पर परिपत्र जारी किये जाते हैं । क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल द्वारा दिनांक 12.04.2016 को ही सभी प्राचार्यों को परिपत्र जारी किया गया है ।
22.	पिछली लोक अदालत शिकायत संबंधी में दिये गये मुख्य बिन्दुओं पर क्या क्रियान्वयन किया गया ।	शिकायत निवारण में कर्मचारी द्वारा अपनी व्यक्तिगत शिकायत संबंधी प्रकरण प्राप्त होने पर शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के द्वारा उचित निराकरण करवाया जाता है ।

(Isampal)
Deputy Commissioner
& Chairman
JCM – Regional Office, Bhopal